न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/87

1. सुल्तान सिंह पुत्र श्री कजोड जाति जाट, निवासी भवानीपुरा स्टेण्ड, लापुंआ, तहसील रींगस जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सागरमल पुत्र श्री गणपतराम
2. गंगूराम पुत्र श्री गणपतराम
3. झाबरमल पुत्र श्री गणपतराम
4. मंगलचन्द पुत्र श्री गणपतराम
5. रामनिवास पुत्र श्री धन्नाराम
6. हरीराम पुत्र श्री धन्नाराम
   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम लापुंआ तहसील रींगस, जिला सीकर राजस्थान।
7. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय रींगस जिला सीकर राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर दिनांक 11.11.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी सागरमल बनाम भूमिधारी तहसीलदार मुकदमा नंबर 30/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री नन्द सिंह राजावत, वकील अपीलान्ट।
2. श्री प्रमोद कुमार माण्डिया, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा0 06 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.11.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 06 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1039/80 रकबा 0.3230 है0 खसरा नम्बर 1102/1027 रकबा 0.3770 है0 तथा खसरा नम्बर 1025/79 रकबा 0.004 है0 खसरा नम्बर 1032/78 रकबा 0.0560 है0 तथा खसरा नम्बर 1101/1027 रकबा 0.4300 है0 खसरा नम्बर 66 रकबा 0.2700 है0 तथा खसरा नम्बर 1026/79 रकचा 0.0630 है0, खसरा नम्बर 1038/80 रकबा 0.0270 है0 खसरा नम्बर 1105/1033 रकबा 0.5700 है0, खसरा नम्बर 80/983 रकबा 0.25 है0 तथा खसरा नम्बर 1024/79 रकबा 0.0460 है0, खसरा नम्बर 1104/1033 रकबा 0.1250 है०, खसरा नम्बर 1112/1031 रकबा 0.0740 है0, तथा खसरा नम्बर 1103/1033 रकबा 0.1250 है0, खसरा नम्बर 1111/1031 रकबा 0.1200 हैक्टेयर तन राजस्व ग्राम लापुंवा, पटवार हल्का लापुंवा,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसील रींगस, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रींगस को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम लापुंवा पटवार हल्का लापुंवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1039/80, 1102/1027, 1025/79, 1032/78, 1101/1027, 66, 1026/79, 1038/80, 1105/1033, 80/983, 1024/79, 1104/1033, 1112/1031, 1103/1033, 1111/1031 के प्रार्थी सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2024 पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें, साथ ही पत्थरगढी की आड़ में किसी भी प्रचलित रास्ते को अवरूद्व नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 11.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुल्तान सिंह पुत्र श्री कजोड़ ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर दिनांक 11.11.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की है इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 6 की भूमि के समीप अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1103/1033, 1111/1031 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2450 हैक्टेयर व भूमि खसरा नम्बर 1032/78 रकबा 0.0560 है०, खसरा नम्बर 1105/1033 रकबा 0.57 है0, 1104/1033, 1112/1031 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1990 है0 खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम लापुंवा में स्थित है जिसके बाबत पूर्व से ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस में दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 179/2024 उनवानी सुल्तान सिंह बनाम गंगुराम वगैरह प्रस्तुत किया हुआ उसमें राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान कर रखे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 की भूमि के लगवा है किन्तु सीमाज्ञान करते समय अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी तथा उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में पत्यरगढी कर कब्जा करने पर उतारू है। इस कारण अपीलार्थी को सुने बिना जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह खारिज किये जाने योग्य है।

वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी है जिस बाबत अपीलार्थी व अन्य पडौसी खातेदारों ने विभिन्न दिनांकों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खड़ी फसल में पत्थरगढी करने से मना किया, उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय रींगस रेस्पोडेन्ट संख्या 7 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में पत्थरगढी करने पर उतारू है जबकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कानून में नियम है कि खड़ी फसल में पत्थरगढी नहीं की जा सकती है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नही था जब कि अपीलार्थी पत्थरगढी की जाने वाली भूमि का निकट खातेदार है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित है तथा उक्त निर्णय से सीधे–सीधे उसके महत्वपूर्ण हितअधिकारी प्रभावित हो रहे है उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का लोकस् स्टेण्डडाई है इसलिए अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पक्षकार ना होते हुऐ भी चैलेन्ज करना चाहता है। अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर तुरंत अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब उक्त अपील पेश की जा रही है फिर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से सलंग्न किया जा रहा है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 06 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रींगस, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1039/80 रकबा 0.3230 है0 खसरा नम्बर 1102/1027 रकबा 0.3770 है0 तथा खसरा नम्बर 1025/79 रकबा 0.004 है0 खसरा नम्बर 1032/78 रकबा 0.0560 है0 तथा खसरा नम्बर 1101/1027 रकबा 0.4300 है0 खसरा नम्बर 66 रकबा 0.2700 है0 तथा खसरा नम्बर 1026/79 रकचा 0.0630 है0, खसरा नम्बर 1038/80 रकबा 0.0270 है0 खसरा नम्बर 1105/1033 रकबा 0.5700 है0, खसरा नम्बर 80/983 रकबा 0.25 है0 तथा खसरा नम्बर 1024/79 रकबा 0.0460 है0, खसरा नम्बर 1104/1033 रकबा 0.1250 है०, खसरा नम्बर 1112/1031 रकबा 0.0740 है0, तथा खसरा नम्बर 1103/1033 रकबा 0.1250 है0, खसरा नम्बर 1111/1031 रकबा 0.1200 हैक्टेयर तन राजस्व ग्राम लापुंवा, पटवार हल्का लापुंवा, तहसील रींगस, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। जिनका राजस्व टीम द्वारा दिनांक 31.05.2024 को सीमाज्ञान किया गया है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 की आराजीयात की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.12.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क़ण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किंया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जांवे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर